सूचना

छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन, देहरादून द्वारा दिनांकः 25.03.2021 को अपराहन 1:00 बजे छावनी सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) जो कि छावनी झील के समीप स्थित है को आगामी 05 वर्षों के लिये किराये पर देने हेतु खुली बोली आमंत्रित करता है।

नीलामी से सम्बन्धित समस्त नियम, दस्तावेज, शर्तें, करार सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र छावनी परिषद कार्यालय व website - http://clementtown.cantt.gov.in/ से दिनांक 22.03.2021 से पूर्व प्राप्त कर सकते है।

बोली बोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज दिनांकः 22/03/2021 समय 1500 बजे तक कार्यालय छावनी परिषद क्लेमेन्ट टाउन में जमा करना अनिवार्य है ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन

पत्रांक–233/सी0बी0सी0/
कार्यालय छावनी परिषद
क्लेमेन्ट टाऊन, देहरादून।

दिनांकः 15 /03/2021

प्रेषितः

सिद्वबली ऐड्र्टाइजिंग
दुकान न0 21, प्रथम तल,
अभिषेक टावर, सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः सूचना।

संलग्न सार्वजनिक सूचना को हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला के आगामी प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र (देहरादून संस्करण) में न्यूनतम आकार में प्रकाशित कर आवश्यक बिल डी0ए0वी0पी0 दर पर भुगतान हेतु प्रेषित करें।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाऊन

छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन
आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का मूल्य 3000+जी0एस0टी0 रसीद सं0................................
दिनांक....................................

छावनी सामुदायिक केन्द्र नीलामी दिनांक 15.03.2021 हेतु आवेदन पत्र।

1. फर्म का नामः ....

2. मालिक / व्यापारी का पूरा नाम : ....

3. पिता का नामः ....

4. वर्तमान पताः ....

....

....

5. स्थायी पताः ....

....

....

6. प्रपत्र जो संलग्न किये जाने है

i. सक्षम अधिकारी या पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र।

ii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी रू0: 20,00,000/– का हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक सोलवेन्सी प्रमाण पत्र।

iii. आय कर रिर्टन विगत तीन वर्ष (2017–18, 2018–19, 2019–20)।

iv. एफ0डी0आर0 रू. 2,00,000/– धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी।

v. आधार कार्ड की प्रति।

vi. पैन कार्ड की प्रति।

vii. जी0एस0टी0 रजि0 नं0:, यदि हो (छायाप्रति संलग्न करें)।

viii. कम्यूनिटी हॉल / बारात घर / वैडिंग प्वाइंट का अनुभव प्रमाण पत्र।

ix. कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन से अदेयता प्रमाण पत्र।

x. कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन एवं किसी भी सरकारी कार्यालय से डिफाल्टर न होने का एफीडेविट।

7. घोषणा

मैं घोषणा करता हूॅ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाये एवं दस्तावेज सत्य है। यदि उपरोक्त दी गयी सूचनाये गलत पायी जाती है तो मेरी नीलामी निरस्त कर दी जायें।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन

सामुदायिक केन्द्र की नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निम्न हैः–

1. सक्षम अधिकारी सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी रू0ः 20,00,000/– का हैसियत प्रमाण पत्र।
3. आय कर रिर्टन विगत तीन वर्ष (2017–18, 2018–19, 2019–20)।
4. एफ0डी0आर0 रू. 2,00,000/– धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी।
5. आधार कार्ड की प्रति।
6. पैन कार्ड की प्रति।
7. जी0एस0टी0 रजि0 नं0ः, यदि हो (छायाप्रति संलग्न करें)।
8. कम्यूनिटी हॉल / बारात घर / वैडिंग प्वाइंट का अनुभव प्रमाण पत्र।
9. कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन से अदेयता प्रमाण पत्र।
10. कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन एवं किसी भी सरकारी कार्यालय से डिफाल्टर न होने का एफीडेविट।
11. कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन में पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रति।
12. **नोट** : पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क **रू0ः 10,000/–**
13. **नोट** : निविदा शुल्क **रू0ः 3000/– + 540/– = रू0ः 3540/–.**
14. **नोट** :सफल बोलीदाता की एफ0डी0आर0 05 साल तक कार्यालय में रहेगी। असफल बालीदाताओं की एफ0डी0आर0 एक सप्ताह में लौटा दी जाएगी।
15. उपरोक्त समस्त दस्तावेज दिनांकः 22/03/2021 को 1500 बजे तक कार्यालय में जमा कराकर नीलामी की शर्ते रू0ः 3000/– व जी0एस0टी 18% अलग से छावनी परिषद में जमा कर प्राप्त की जा सकती है। बोलीदाता को दिनांकः 25/03/2021 को बोली बोलने से पहले रू.2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 जो कि मुख्य अधिशासी अधिकारी क्लेमेन्ट टाउन छावनी के पक्ष में देय होगा धरोहर राशी के रूप में जमा कराना होगा। उक्त सभी औपचारिकता पूर्ण करने पर ही इच्छुक व्यक्ति बोली बोलने के अधिकारी होंगे। बोली रूः 10,00,000/– (दस लॉख) से आगे बोली जाएगी, यदि बोलीदाता कोई शर्त या कागजात छिपाता है या गलत प्रस्तुत करता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी और उसकी बोली निरस्त की जायेगी तथा धरोहर राशी जब्त भी की जा सकती है।

16. उच्चतम बोली दाता को उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के तुरन्त पश्चात ही कार्यालय में जमा करानी होगी तथा बोली स्वीकृति के 07 दिन के अन्दर उच्च्तम बोलीदाता को 03 मॉह का किराया पेशगी एवं 03 मॉह का किराया धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 के रूप में भुगतान करना होगा, जिसको पूर्व में नीलामी के समय जमा की गयी धरोहर राशि रू 200000/– के साथ समायोजित किया जायेगा।
17. सभी प्रकार के कर जो भी उत्तराखण्ड सरकार / भारत सरकार द्वारा लागु है के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी/संचालन कर्ता उच्चतम बोली दाता की होगी।
18. छावनी परिषद किसी भी निविदा को बिना शर्त कारण बताये, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. नीलामी स्वीकृती के पश्चात उच्चतम बोली दाता को छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन के साथ नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टाम्प शुल्क का व्यय स्वयं उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। अनुबन्ध न होने की स्थिति में छावनी परिषद को धरोहर धनराशी जब्त करने का अधिकार होगा।
20. उपरोक्त किसी भी नियमो एवं शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में छावनी परिषद को नीलामी निरस्तीकरण, धरोहर धनराशी जब्त करने तथा पुनः नीलामी करने का अधिकार होगा।
21. सामूदायिक केन्द्र की सुरक्षा, साफ सफाई एवं विद्युत बिल भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
22. सामूदायिक केन्द्र में किसी भी प्रकार की मरम्मत, रखरखाव, अनुरक्षण एवं रंगाई पुताई का खर्च ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा। सामूदायिक केन्द्र में किसी भी प्रकार का निर्माण छावनी परिषद की पूर्व अनुमति से किया जायेगा।
23. छावनी परिषद को जब भी सामूदायिक केन्द्र की आवश्यकता होगी तो ठेकेदार द्वारा प्रथम वरियता पर निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
24. सामूदायिक केन्द्र की उच्चतम बोली में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
25. प्रत्येक विवाह / समारोह का किराया कैन्ट बोर्ड स्टाफ हेतु रूपये 11000/– मुख्य अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

26. उच्चतम बोली दाता को अग्निशमन विभाग, देहरादून से सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

27. उच्चतम बोली दाता को छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन से सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु ट्रेड लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

28. उच्चतम बोली दाता को सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।